कार्यालय : जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,पलामू।

(अनु0जनजाति, अनु0जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा)

(अति अल्पकालीन निविदा) विज्ञापन सं0–01/2019–20

पलामू जिला में CCD योजना के अन्तर्गत चिन्हित ग्रामों में Solar Drinking Water System की आपूर्ति एवं अधिष्ठापित करने हेतु आवंटन निम्नवत् प्राप्त है।

पैकेज सं0	योजना का नाम	आवंटन आदेश सं0	दर	प्राक्कलन	स्वीकृत यूनिट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	CCD योजना के तहत Solar Drinking Water System का अधिष्ठापित	115/11.06.2019	1581400 (पन्द्रह लाख एकासी हजार चौर सौ) रू0 प्रति इकाई	मो0– 1581400.00 (पन्द्रह लाख एकासी हजार चौरसौ) रू0 कल्याण विभाग से प्राप्त मॉडल प्राक्कलन	10	प्राप्त विपत्र का भुगतान जिला स्तर से किया जायेगा

10 चिन्हित ग्रामों में Solar Drinking Water System अधिष्ठापित करने के लिए दिनांक 16.08.2019 अपराहन् में 04:00 बजे तक जिला कल्याण कार्यालय, पलामू में मुहरबंद निविदा तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग लिफाफे में आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा दिनांक 17.08.2019 पूर्वाहन् 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। उक्त निविदा में निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। निविदादाताओं को निविदा से संबंधित सभी शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

निविदा से संबंधित शर्त्तों को पलामू जिला के Website (www.palamu.nic.in) पर एवं जिला कल्याण कार्यालय, पलामू के सूचना पट्ट पर भी देखा जा सकता है।

24/7/19

उपायुक्त, पलामू।

कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू
(अनु0जनजाति, अनु0जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा)

(अति अल्पकालीन निविदा)

विज्ञापन सं0–01/2019–20 Solar Drinking Water System की आपूर्ति एवं अधिष्ठापित करने हेतु प्रकाशित निविदा से संबंधित शर्ते निम्नवत है :–

A. तकनीकी बीड की शर्ते :–

1. निविदा के साथ जी0एस0टी0/पैन नम्बर/फर्म का पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. विगत तीन वर्षो का यथा–वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का आयकर रिर्टन संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के पदनाम से योजना के लिए 3,00,000/– (तीन लाख) रूपय का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को झारखंड राज्य के किसी भी जिला में काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता को किसी भी जिला से उपायुक्त स्तर से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. एम0एन0आर0आई0 (भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय) या ज्रेडा के चैनल पार्टनर/अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

B. वित्तीय बीड की शर्त :–

1. Solar Drinking Water System अधिष्ठापित करने हेतु निविदादाता प्रति इकाई दर सभी कर सहित कम्प्यूटराईज प्रिंटेड (अंको एवं शब्दो में) अंकित करना होगा। एक से अधिक दर अंकित करने वाले निविदादाता के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। दर अधिकतम प्राक्कलन की अधिसीमा के तहत होना चाहिए। तकनीकी बीड अलग से समर्पित करना है।

C. अन्य शर्ते :–

1. स्वीकृत निविदादाता को Solar Drinking Water System के उपायुक्त से निर्गत अधिष्ठापन आदेश एवं सक्षम अधिकारी के साथ एकरारनामा की तिथि के तीन माह के अन्दर पलामू जिला स्थित प्रखंडो के निर्देशित स्थलो पर अधिष्ठापित करना होगा, इसके लिए अलग से कोई परिवहन व्यय अथवा अन्य व्यय देय नहीं होगा।
2. Solar Drinking Water System का निविदा में दर समान होने पर पलामू जिला में गत तीन वर्षो में यह कार्य किये हुए निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्य एक से ज्यादा निविदादाताओं में विभक्त किया जा सकेगा, जिस संबंध में उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
3. निविदा का निस्तार अनुभव, गुणवता तथा दर के आलोक में किया जायेगा।
4. बिना कारण बताये सभी या किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
5. शर्त्तयुक्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं मांगी गयी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदादाता को अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
7. आपूर्ति की जाने वाली सभी सामग्री ISI मार्का/MNRE Approved तथा अधिष्ठापित संयंत्र की संपूर्ण वारंटी 5 वर्ष की होनी चाहिए।
8. निविदादाता को कार्य के उपरान्त अधिष्ठापन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। प्रत्येक अधिष्ठापित सयंत्र पर कल्याण विभाग संबंधित शिलापट्ट लगाना होगा एवं योजना की वारंटी संबंधित तथ्य विवरणी अंकित करना होगा।

24/7/19

उपायुक्त,
पलामू।